

संख्या- 5942/15-7-93-1681418/1992

प्रेषक,

श्री अशोक नांगली,
उप प्राचार्य,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्राचार्य,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2, तम्रहास केन्द्र,
प्रतिष्ठित नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लकनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 1994

विषय:-

ब्रह्मानन्द पब्लिक स्कूल नोयेडा गाजियाबाद को शैक्षणिक उत्कृष्टता नई दिल्ली से सम्बन्धित पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्रह्मानन्द पब्लिक स्कूल नोयेडा गाजियाबाद को शैक्षणिक उत्कृष्टता नई दिल्ली से सम्बन्धित पुरस्कार प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों से जमीन आर्पाई नहीं है ।

- 1- विद्यालय की संज्ञाकृत तोताबट्टी का तम्र तम्र पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यार्थियों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बैतनिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति कार दि ईडियन स्कूल लटी फ्लैट इन्वार्मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिद्येत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिद्येत्तर कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अग्रतरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय भविष्य में काश्मिरी के रूप में कोई धनराशि छात्रों से वसूल नहीं की जायेगी तथा स्टाफ का वेतन मुगलान बैंक के माध्यम से किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की रुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामिका प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली
उप सचिव ।

पु0सं0 5942111/15-7-1994 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, प्रहमानन्द पब्लिक स्कूल, नोडेडा गाजियाबाद ।

आशा है,

अशोक गांगुली
उप सचिव ।